UPBU01-015994-2025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय,

न्याय कक्ष सं0–1, बुलन्दशहर

सत्र वाद संख्या–3958 सन 2025
राज्य बनाम बलवीर
मु0अ0संख्या–100 सन् 1993
थाना सलेमपुर, जिला बुलन्दशहर।

<u>दिनॉक 07–08–2026</u>

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली अभियुक्त बलवीर की मृत्यु आख्या हेतु नियत है। अभियुकत बलवीर के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी अधिपत्र जारी किये गये थे, जिस पर संबंधित थाना सलेमपुर के उप–निरीक्षक सुशील कुमार द्वारा यह आख्या दी गयी है कि 'बलवीर पुत्र बलवन्त नमा का कोई व्यक्ति वर्तमान समय में गॉव भैंसरोली में नहीं रहता है न ही चल व अचल सम्पत्ति है। जानकारी ग्रामवासियों के अनुसार व ग्राम प्रधान के अनुसार अभियुक्त उपरोक्त पहले गॉव में रहते थे, जिनकी करीब 02 वर्ष पहले मृत्यु होना सुना है'।

उक्त आख्या के साथ संबंधित ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र संलग्न है जिसमें उल्लेखित है कि 'प्रमाणित किया जाता है कि बलवीर पुत्र बलवन्त नाम का व्यक्ति वर्तमान समय में ग्राम में नहीं रहता है न इनकी कोई चल व अचल सम्पत्ति है। जानकारी के अनुसार करीब दो वर्ष पूर्व में इनकी मृत्यु हो चुकी है'।

सी0डब्लू01 हैड कांस्टेबल 463 परवीन राठी ने सशपथ बयान किया कि पत्रावली पर मौजूद अभियुक्त की गिरफ्तारी अधिपत्र पर तत्कालीन एस0आई सुशील कुमार को प्राप्त हुआ था। एस0आई0 सुशील कुमार को मैंने लिखते–पढ़ते देखा है तथा थाना सलेमपुर पर मैं उनके साथ तैनात रहा हूँ। अभियुक्त बलवीर पुत्र बलवन्त, निवासी भैंसरोली नासिरपुर के गिरफ्तारी अधिपत्र पर जो आख्या दी गयी है वह एस0आई0 सुशील कुमार के हस्तलेख में है तथा उनके हस्ताक्षर में है तथा एस0आई0 विशाल को भी मैंने लिखते–पढ़ते देखा है। उनको भी उपरोक्त मुकदमे की तामील हेतु नामित किया गया है। उनकी आख्या भी एन0बी0डब्लू0 पर अंकित है, जो दिनॉकित 11–10–2024 को जारी हुआ था। जिस पर दिनॉक 17–10–2024 को एस0आई0 विशाल कुमार द्वारा एन0बी0डब्लू0 पर आख्या दी गयी है, जिसमें अभियुक्त के परिवार सहित कहीं बाहर चला जाना लिखा गया। दिनॉक 12–12–2025 को जारी एन0बी0डब्लू0 पर आख्या दिनॉक 02–01–2026 को एस0आई0 सुशील कुमार के द्वारा अंकित है व उनके हस्तलेख में है जो तत्कालीन थाना प्रभारी द्वारा सबमिट है जो पत्रावली पर कागज सं0–3बी/2 के रूप में मौजूद है जो भैसरोली ग्राम पंचायत की आख्या है, संलग्न है जो उपरोक्त उप निरीक्षक के हस्तलेख में है।

पत्रावली पर उपलब्ध सम्बन्धित थाने की आख्या, ग्राम प्रधान द्वारा अभियुक्त बलवीर की मृत्यु के सम्बन्ध में जारी प्रमाणपत्र तथा सी0 डब्लू0–1 हैड कां0 परवीन राठी के बयान के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि अभियुक्त बलवीर पुत्र बलवन्त की मृत्यु करीब दो वर्ष पूर्व हो चुकी है। अतः अभियुक्त बलवीर पुत्र बलवंत, निवासी ग्राम भैंसरोली नासिरपुर, थाना सलेमपुर, जिला बुलन्दशहर के विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(शिवा नन्द)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय,
न्याय कक्ष संख्या 01,बुलन्दशहर

JO CODE NO-UP1622

Digitally signed by SHIVA NAND
Date: 2026.08.10 11:42:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court